तारीख हुक्म	नवल किशोर व/s प्रिवीलाल, रा. सी. हा. सै. स्कूल हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रा० पत्र मु० नं० 750/2002
25.4.18	पत्रावली वास्ते आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत हुई। प्रार्थना पत्र का विवेचन पर निर्णय निम्न प्रकार है:- नन्दकिशोर पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति महाजन नि. रींगस ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध 1. प्रिंसिपल रा.सी.हा.सै. स्कूल रींगस व सुरजीदेवी पत्नी बाबूलाल सोनी नि. रींगस के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि - ग्राम रींगस के ख.नं. 331 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा, 332 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 333 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 334/1 रकबा 09 बीघा 8 बिस्वा, 413/2/1 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा 413/2 रकबा 05 बिस्वा किता 6 रकबा 33 बीघा 09 बिस्वा की जमीन के 5/6 हिस्सा वादीगण प्रतिवादीगण 6 ता 8 (श्यामसुन्दर, मुरारीलाल, बोदूराम पुत्रान दुर्गाप्रसाद महाजन) तथा 1/6 हिस्सा भोला, गोपा पुत्र बालू के नाम दर्ज थी उपखण्ड अधिकारी नीमका थाना में बंटवारे के बाद के 6 बीघा कृषि भूमि गोपा पुत्रान बालू को देने के बाद प्रार्थीगण व प्रतिवादीगण 6 ता 8 के हिस्से में 27 बीघा 09 बिस्वा कृषि आयी जिस पर वे काबिज काश्त चले आ रहे हैं। नवीन भू प्रबन्ध के दौरान इस खातेदारी भूमि ख.नं. 27 बीघा 09 बिस्वा के नम्बरात (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

नवल किशोर आदि V/S प्रियंका, कृ.सी.ए.टी.

तारीख हुक्म	प्रा० पत्र मु० नं० 750/2002 हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	ख.नं. 574/0.64है, 571/0.01है, 580/0.03है, 581/2.70है, 582/0.06है, 583/0.03है, 584/0.62है, 585/0.04है, 586/0.01है, 587/0.34है, 663/0.82है, 679/1.32है कुल रकबा 6.62है. अंकित किया जिनकी खातेदारी वादीगण के नाम अंकित है। ख.नं. 679 का रकबा 1.32 है. को नये सैटलमेंट में 1.20 है. दर्ज कर दिया जिससे कुल रकबा वादीगण के नाम 6.50 है. रहा। प्रतिवादी सं. 6 श्यामसुन्दर ने अपने जवाब दावा में कहा कि ख.नं. 679 में से 23 बिस्वा व ख.नं. 663 में से 125 4/5125 हिस्सा बेचान कर दिया था वे क्रमशः जगदीश प्रसाद व ... द्वारा किया है इसके विचार न होने के कारण इन्हें पक्षकार नहीं बनाया है) मौके पर प्रार्थीगण व प्रतिवादीगण सं. 8 ने अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 413/2/1 ग्राम सींथल में पूर्व की तरफ 7 फीट में अधिक ऊँचाई की आम डोली करीब लगा रखी है। जिसकी मरम्मत 25 वर्षों से प्रार्थीगण करते आ रहे है यह डोली सैटलमेंट के पहले से मौके पर चली आ रही है इस डोली के अलावा कोई रास्ता इत्यादि नहीं रहा है न ही कभी सिवाय विभाग का कब्जा रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी 27 बीघा 09 बिस्वा का रकबा 6.86 हैक्टेयर होता है उसे नये बन्दोबस्त	

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नवल किशोर वगैरह बनाम प्रिंसिपल, राजकीय उ० मा० वि०

तारीख हुक्म	प्रा० पत्र टी० आर० मु० नं० 750/2002 हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	के माप 6.62 है० की दर्ज किया इसमें से 0.24 है० कम दर्ज कर दी। ख० नं० 679 में से 0.12 है० NH-11 में शामिल करने से रकबा माप 6.50 है० ही रहा है। इस 0.12 है० भूमि का मुआवजा भी प्रार्थीगण को नहीं मिला। पूर्व के ख० नं० 413/2/1 रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा व ख० नं० 413/2 रकबा 5 बिस्वा मिलाकर नवीन ख० नं० 679 बनाये इसका रकबा कम अंकित कर दिया। अप्रार्थी नं० 2 ने ख० नं० 328 में से 1 बीघा जमीन खरीदी उसके नये ख० नं० 665 रकबा 0.33 बनने को कि उसके रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा (0.26 है०) से अधिक रकबा 0.07 है० जोड़ा गया है। तथा पूर्व की पटवारी ने नक्शे रिकार्ड में गलत दर्ज कर दी। अप्रार्थी नं० 2 ने जमीन रखने की मौखिक की तब प्रार्थीगण ने रिकार्ड निरीक्षण करवाया तो पता चला कि अप्रार्थी नं० 2 की जमीन बढ़ा दी गयी है एवं प्रार्थीगण की भूमि में से रास्ते मौका नम्बर 677/5918 रकबा 0.08 गलत बताकर आदेश श्रीमान के नाम दर्ज कर दी और ख० नं० 679 के किनारे-किनारे बताया गया जो गलत है। वहां कोई रास्ता नहीं रहा है इस रास्ते की शुरुआत आरपीएस-3 से जहां रास्ता शुरु होना बताया वहां प्रबंध से पूर्व 3 दुकानें बनी होकर NH-11 पर खुलती हैं उनके आगे खातेदार प्रार्थीगण का बना हुआ है। [signature] उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Scanned by CamScanner

नवल किशोर आदि V/s प्रिंसीपल, रा०सी०मा० वि० [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्रा० पत्र टी० आई० मु० नं० 750/2002 4/10	

अप्रार्थी नं. 2 ने शीशा विभाग की जमीन से जो जमाबंदी 0.26 हैक्टर ख०. 37 बना दी अर्थात लगभग 0.11 है. भूमि स्कूल ग्राउण्ड की दबा रखी है। अ.न. 5 आदि कृषकों ने भी स्कूल की जमीन खेल मैदान पर अतिक्रमण करके दबा रखी है। जिसे पूरा करने के लिए प्रार्थिया की 0.24 है. भूमि कम कर दी व नक्शा ख.नं. 677/5918 रकबा 0.08 है. गुपचुप रूप से अंकित करा दिया। अप्रार्थी नं. 2 ने 0.07 है. प्रार्थिया की भूमि ख. नं. 663 की तरफ बताते हुए गलत अंकित करा दी। नया शेष भूमि को शीशा विभाग की तरफ प्रार्थिया की भूमि ख. नं. 513/2/1 में गलत अंकित करा दिया व नये सेटलमेंट के दौरान प्रार्थिया की भूमि का नक्शा व जमाबंदी व फिल्ड बुक में हेराफेरी की गयी व शीशा विभाग के नाम अंकित भूमि में भी हेराफेरी की गयी है। अप्रार्थी नं. 2 ने नाजायज लाभ देने के लिए हेराफेरी की है।

अप्रार्थी नं. 1 व 2 की तरफ से प्रार्थिया की [illegible] की [illegible] पर विवाद उत्पन्न होने से प्रार्थनापत्र पेश किया गया अतः प्रार्थनापत्र आज्ञा निषेधाज्ञा मंजूर कर अप्रार्थीगण को दौरान ए कार्यवाही तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थिया की भूमि में [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner

नवल किशोर वगै० V/s गिरीशनन्द, आ० श्री० हा० कौ० वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तारीख में जारी हुए
	प्रा० पत्र टी० आई० मुकदमा 150/2002 5/10	

677/5518 रकबा 0.08 है० व इस भूमि के पश्चिम [illegible] स्थित भूमि ख० नं० 677 में से 0.09 है० भूमि तथा ख० नं० 665 रकबा 0.32 है० में से प्राचीन रीति से 0.07 है० भूमि में से प्रार्थीगण व प्रतिवादीगण 6 ता 8 को बेदखल न करे न ही कोई निर्माण करें न ही जबरन कब्जा करे न रोका से रखवाई।

अप्रार्थी नं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा नये भू प्रबन्ध के पश्चात ख० नं० 679 की पूर्वी सीमा को धीरे-धीरे पूर्व की ओर खसकाते हुए ख.नं. 677/5918 पर अतिक्रमण कर लिया तथा ख.नं. 677 की पश्चिमी सीमा पर भी पूर्व पश्चिम में 25 फुट का अतिक्रमण प्रार्थीगण द्वारा किया गया जो हटाने योग्य है ख.नं. 677/5518 यथा NH-11 पर भी प्रार्थीगण द्वारा दुकानें सन् 1996 से पूर्व बनायी जो हटाने योग्य है

अप्रार्थी नं. 2 ने भू प्रबंध में 0.07 है० भूमि अधिक अंकन करा लेने व 0.11 है० अतिक्रमण [illegible] अतिक्रमण पर कराने का उल्लेख प्रार्थीगण द्वारा किया है इस प्रकार कथन आधार होने से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

विरोध कथन में अप्रार्थी नं. 1 द्वारा कथन किया कि ख.नं. 677 रकबा 1.88 है० शामलात [illegible] की है जिस पर कब्जा की रही है जो फैसला [illegible] के [illegible] मे

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner

नवल किशोर वगैरह बनाम प्रिंसीपल, रा० सी० मा० वि० स्कूल वगैरह
प्रा० पत्र टी० आई० मु० नं० 750/2002

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	6/10	

काम आ रही है तथा ख० नं० 677/5918 रकबा 0.07 हैक्टेयर रीसा किसान की खातेदारी का होना, मुख्य सड़क से हमारा भारतीय की तरफ है जिसे भी कि ख० नं० 679 के पूर्व तरफ हमारा होने से गलत नीयत से तुरबन्दी पश्चात धीरे-धीरे पूर्व और डोली से आगे खिसकाते हुए ख० नं० 677/5918 पर अतिक्रमण कर लिया इसकी जानकारी दि० नं० 69/2000 T.R. में 5.11.2000 को कमीश्नर के नाप की जानकारी हुई। प्रार्थीगण द्वारा किस पड़ौसी की खातेदारी में उनकी जमीन चली गयी है, पत्थर न लगने से प्रार्थना पत्र बाद चलने योग्य नहीं है. ख० नं० 677/5918 ‍ लक्ष्मणदान के नाम से ली जा रही है जिस पर हस्तक्षेप करने का अप्रार्थीगण को अधिकार है अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज किया जावे।

अप्रार्थीगण 2 सुरजी देवी पत्नी बाबूलाल सोनी की जवाबदेही को अवकाश 16.12.2002 से लम्बित होने एवं 7.11.17 से बार-बार अवसर देने के पश्चात भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर जवाबदेही बन्द की गयी।

दौरान-ए-बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अंकित तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि ख० नं० 413/2/1 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा के नये नम्बर 679 बने उसका रकबा 1.32 है० बनाया जबकि पूर्व रकबा 06 बीघा 05 बीघा के हिसाब से रकबा 1.64 हैक्टेयर होना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner

नवल किशोर हैड॰ V/S प्रिंसीपल, रा॰ मा॰ हा॰ सै॰ स्कूल ...

तारीख हुक्म	प्रा॰ पत्र टी॰ अर्जी॰ मु॰ न॰ 750/2002 हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज 7/10	नम्बर व अहकाम हुक्म की ता. में जारी हुए
	प्रार्थी की आराजी 27 बीघा 09 बिस्वा का रकबा- 6.62 हैक्टर में से 0.12 है. अवाप्ति में जाने से कुल- 6.50 है. अंकित कर दिया गया कि 27 बीघा 09 बिस्वा का रकबा 6.86 है. बनता है जो कम होना स्पष्ट है साथ ही नक्शा ट्रेस अनुसार 335, 329, 331, 413 की लाइन सीधी है। ग्रुप बंधी पश्चात इसकी स्थिति में परिवर्तन करते हुए स्कूल मैदान के उत्तर की ओर नया ख.नं. 677/5918 रकबा 0.08 है. नया सृजित कर दिया जो नक्शा अनुसार प्रार्थीगण की सीमा में है परन्तु खातेदारी स्कूल शिक्षा विभाग के नाम अंकित कर दी. अप्रार्थी सं. 1 व अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थीगण की भूमि कम हुई है परन्तु अप्रार्थीगण ने स्पष्ट नहीं किया कि किसकी जमीन को बढ़ाया गया है साथ ही सुरजीदेवी की 0.07 है. भूमि बढ़ने वाली किसके रकबे में से बढ़ी स्पष्ट नहीं है- मौका रिपोर्ट दिनांक 5.11.2000 की रिपोर्ट में भी विवादित आराजी नं. 677/5918 में पगडंडी होना बताया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी पुनः कथन किया कि दुकान 1996 से पूर्व बनी है तो पगडंडी कैसे हुई तथा स्कूल व प्रार्थीगण के बीच कौनसी भूमि है यह भी अप्रार्थीगण स्पष्ट नहीं कर पाये अतः प्रार्थना पत्र T.L. निरस्त किया जावे (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Scanned by CamScanner

नवल किशोर वगैरह v/s प्रेमीचन्द, रामजीलाल वगैरह स्कूल वगैरह

प्रा० पत्र टी० आई० मु० नं० 750/2002

8/10

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	इस प्रकार मामला प्रथम इश्यू . प्रार्थीगण की नाजायज रीति मिल खातेदारी से संबंधित है जिनमें अप्रबंध पूर्व खातेदारी समावली संवत 2034 से 2037 अनुसार ख० नं० 331, 332, 333, 334/1, 413/2/1, 413/2 किता 6 रकबा 33 बीघा 09 बिस्वा था जिनमें से बीरबल बाद 27 बीघा 09 बिस्वा शेष रही है जिनके अप्रबंधपश्चात नये ख० नं० 579, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, ~~588~~ 613, 679 किता 12 रकबा 6.62 है बनते हैं जिनमें से ख० नं० 679 के रकबा 1.32 है में से 0.12 है. स्कूल नामान्तरण आवंटित होने से शेष रकबा कुल 6.50 है रहा है प्रार्थी की 27 बीघा 09 बिस्वा का हैक्टर पश्चात से शैक्षणिक 6.86 हैक्टर बनना बताया है। इस प्रकार नवीन अप्रबंध में प्रार्थी का कुल रकबा 6.62 है. ही दर्ज किया (आवंटन बाद 6.50 है रहा) जो साबित व हाल शैक्षणिक से कमी दर्शाता है जबकि स्कूल के खाते ख० नं० 413/2/1 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा के नये नम्बर 679 रकबा 1.32 है बने हैं अप्रबंध में 0.12 है आवंटन कर स्कूल के पास 1.20 हैक्टर रहा है। 06 बीघा 05 बिस्वा की हैक्टर पश्चात से गणना अनुसार रकबा 1.64 है बनता है। इसी प्रकार प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत	

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner

नवल किशोर वगै० v/s प्रिंसीपल रा०सी०डा०वि० वगैरह

Form. N

तारीख हुक्म	प्रार्थना पत्र टी० आई० मु०नं० 750/2002 हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज 9/10	नम्बर व अहकाम हुक्म की ता... में जारी हुए

उक्त प्रबंध के पूर्व के नक्शे अनुसार ख०नं० 329, 331 व 413/2 की नक्शा अनुसार सीमा लाइन सीधी सी है एवं उक्त प्रबंध पश्चात ख०नं० 665, 677/1 व 678 की सीधी लाइन है व इनके मध्य पूर्व की तरफ 677/5918 है खसरा नं० 677/5918 रकबा 0.08 है को 818/1 मी. में बनना बताया है परन्तु किन के रकबे में बना इसका अंकन नहीं है। अतः इस प्रथम दृष्टया मामला शुद्धि का लगता है जो प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है यह बिन्दु इनके पक्ष में तय किया जाता है।

2 सुविधा का सन्तुलन - अप्रार्थी द्वारा स्वयं अपने जवाब में प्रश्नगत आराजीयात 677/5918 का रीको को 1996 पूर्व दुकानें होना का कथन किया है एवं छोटे-छोटे बच्चे (बच्चों) का भी कथन किया है ऐसे में अगर वाद निस्तारण पूर्व कोई भी निर्माण बाबत प्रश्नगत आराजीयात किया जाता है तो असुविधा अप्रार्थीगण के बजाय प्रार्थीगण को अधिक होगी। अतः यह बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

3 अपूरणीय क्षति - प्रकरण प्रथम दृष्टया शुद्धि का लगता है। तथा प्रकरण में उक्त के पूर्व के मिलान से प्रकार, नक्शा अनुसार प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner

नकल किशोर कुँ० पु० मिश्रीलाल, क० मौ० खु० कैं सहल रोकंड केस०

तारीख हुक्म	प्रा० पत्र रो० आर्ड० मु० नं० 750/2012 10/10 हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	9 अप्रार्थीगण के बीच भूमि बाबत, साक्ष्य एवं रिकार्ड अनुसार विचाधार तय होना है एवं इसी अनुसार निर्णय होना है। अगर इस बीच मौके पर स्थिति। कब्जे में परिवर्तन होता है तो हानि प्रार्थीगण की अधिक होगी। अतः यह बिन्दु आंशिक रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में तय किया जाता है।	
	आदेश	
	इस प्रकार मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण पक्ष में होने व अपूरणीय क्षति आंशिक रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने से दिनांक 09.12.02 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत ख० नं० 677/5918 रकबा 0.08 है०, ख० नं० 677 में से 0.09 है०, ख० नं० 665 में से पश्चिम की तरफ की 0.07 है० की भूमि तन ग्राम सींगन की मौके की यथास्थिति उभय पक्ष द्वारा बनाये रखने को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली कार्यवाही मुकम्मल होकर नम्बर से दर्ज बीजावर दाखिल दफ्तर रहे।	
	निर्णय आज दिनांक 25.4.16 को लिखा गया, मेरे इजलास सुनाया गया।	
	Sd/- (प्रहलादलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी [illegible] (ठकुरान)	

Scanned by CamScanner